# सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
## राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
## मैनुअल

## उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश की उर्वरक धरती पर सदियों से कृषि–कार्य होता आया है। औद्यौगिक विकास के साथ–साथ अन्य अनेक क्षेत्रों में हुये बहु–आयामी विकास के बावजूद आज भी इस प्रदेश की बहुसंख्यक जनता का प्रमुख उद्यम कृषि ही है। कृषि व कृषि पर आधारित व्यवसायों के पल्लवन हेतु **भूमि** सबसे महत्वपूर्ण कारक रही है। अंग्रेजों द्वारा **भूमि व्यवस्था और राजस्व संचयन** निमित्त सन् 1831 में उत्तर प्रदेश स्थित इलाहाबाद में राजस्व परिषद की स्थापना की गई जो कालान्तर में शनैः शनैः राजस्व प्रशासन का मेरूदण्ड बन गया।

राजस्व परिषद उद्‌भव से लेकर आज तक राजस्व प्रशासन की एक मजबूत एवं अति महत्वपूर्ण इकाई के रूप में कियाशील रहा है। प्रारम्भिक नौ दशकों तक यह परिषद भू–राजस्व व अन्य राजकीय देयों की वसूली, संग्रह अधिकारियों पर नियंत्रण, राजस्व कानूनों का अनुपालन व उनसे अन्तर्गस्त राजस्व न्यायिक वादों के निस्तारण के अलावा स्टाम्प्स, आबकारी, अफीम, मनोरंजन व आयकर आदि के विधि सम्मत निर्धारण के साथ–साथ बन्दोबस्त व भूमि व्यवस्था विषयक समस्त कार्यों के नियंत्रण व पर्यवेक्षण के प्रति उत्तरदायी था। सन् 1922 में तत्कालीन सरकार द्वारा राजस्व परिषद का पुर्नगठन किया गया। मनोरंजन, अफीम और आयकर सम्बन्धी कार्य इसके नियंत्रण से बाहर कर दिये गये और उसे उक्त अवशेष कार्यों को स्वतंत्ररूप से सम्पादित करने का अधिकार प्रदान किया गया। स्थापना के ठीक सौ वर्ष बाद अर्थात सन् 1932 में परिषद को निदेशक भू–लेख (डायरेक्टर, लैण्ड रिकाड्स) के रूप में मान्यता देकर उसे नायब तहसीलदार व तहसीलदारों की नियुक्ति व स्थानान्तरण करने के साथ–साथ जिलाधिकारियों व मण्डलायुक्तों पर नियंत्रण रखने व उनके कार्यों के पर्यवेक्षण का अधिकार भी प्रदान किया गया।

**वर्ष 1947–48 में राजस्व परिषद के कार्य–कलापों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ।** न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था अलग–अलग कर दी गयी। न्यायिक कार्यों का सम्पादन तो **इलाहाबाद** में यथावत होता रहा जबकि प्रशासनिक इकाई **राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश** नाम से **लखनऊ** में स्थानान्तरित कर दी गई। न्यायिक कार्यों के सम्पादन निमित्त न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति की गई जबकि प्रशासनिक इकाई में आई0ए0एस0 संवर्ग के वरिष्ठतम दो अधिकारी **वरिष्ठ सदस्य** व **कनिष्ठ सदस्य** के रूप में नियुक्त किये गये जिनमें से **वरिष्ठ सदस्य** को कालान्तर में **प्रशासनिक सदस्य** कहा गया। सन् **1949** में **भूमि व्यवस्था आयुक्त** का एक पद सृजित हुआ जिसे वर्ष 1956–57 में समाप्त कर दिया गया और **प्रशासनिक सदस्य** के अतिरिक्त **सदस्य (कर) तथा सदस्य (भूमि व्यवस्था)** की तैनाती परिषद मुख्यालय लखनऊ में की गयी।

वर्ष **1957–58** में राजस्व परिषद के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोत्तरी कर परगना अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट, विक्री कर अधिकारी की नियुक्ति व स्थानान्तरण के अधिकार परिषद को प्राप्त हुए। साथ ही आबकारी, निबन्धन, मनोरंजन कर व चकबन्दी अधिकारी के कार्यों पर परिषद का नियन्त्रण रहा, जिसे राज्य सरकार द्वारा ढाई वर्ष बाद वापस ले लिया गया। वर्ष **1964** में **प्रशासनिक सदस्य का पद मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद** के रूप में परिणित हो गया। तब से आज तक मा0 अध्यक्ष सहित उक्त दोनों प्रशासनिक सदस्यों के शीर्ष पद यथावत विद्यमान हैं।

मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद प्रदेश के राजस्व एवं भूमि व्यवस्था विषयक नीतिगत मामलों में राज्य सरकार के सलाहकार होते हैं। राजस्व परिषद के मा0 अध्यक्ष एवं प्रशासनिक सदस्यों के बीच कार्यों का विभाजन मा0 अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। राजस्व परिषद की इलाहाबाद न्यायिक इकाई में तैनात न्यायिक सदस्यों द्वारा शीर्ष न्यायालय के रूप में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम से अन्तर्ग्रस्त राजस्व वादों का निस्तारण किया जाता है जबकि उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू से अन्तर्ग्रस्त राजस्व वाद परिषद के लखनऊ मुख्यालय पर मा0 अध्यक्ष एवं प्रशासनिक सदस्यों द्वारा निस्तारित किये जाते हैं। राजस्व परिषद का वर्तमान **संगठनात्मक ढ़ांचा अग्र अवलोकनीय है :–**

# राजस्व परिषद का संगठनात्मक ढांचा

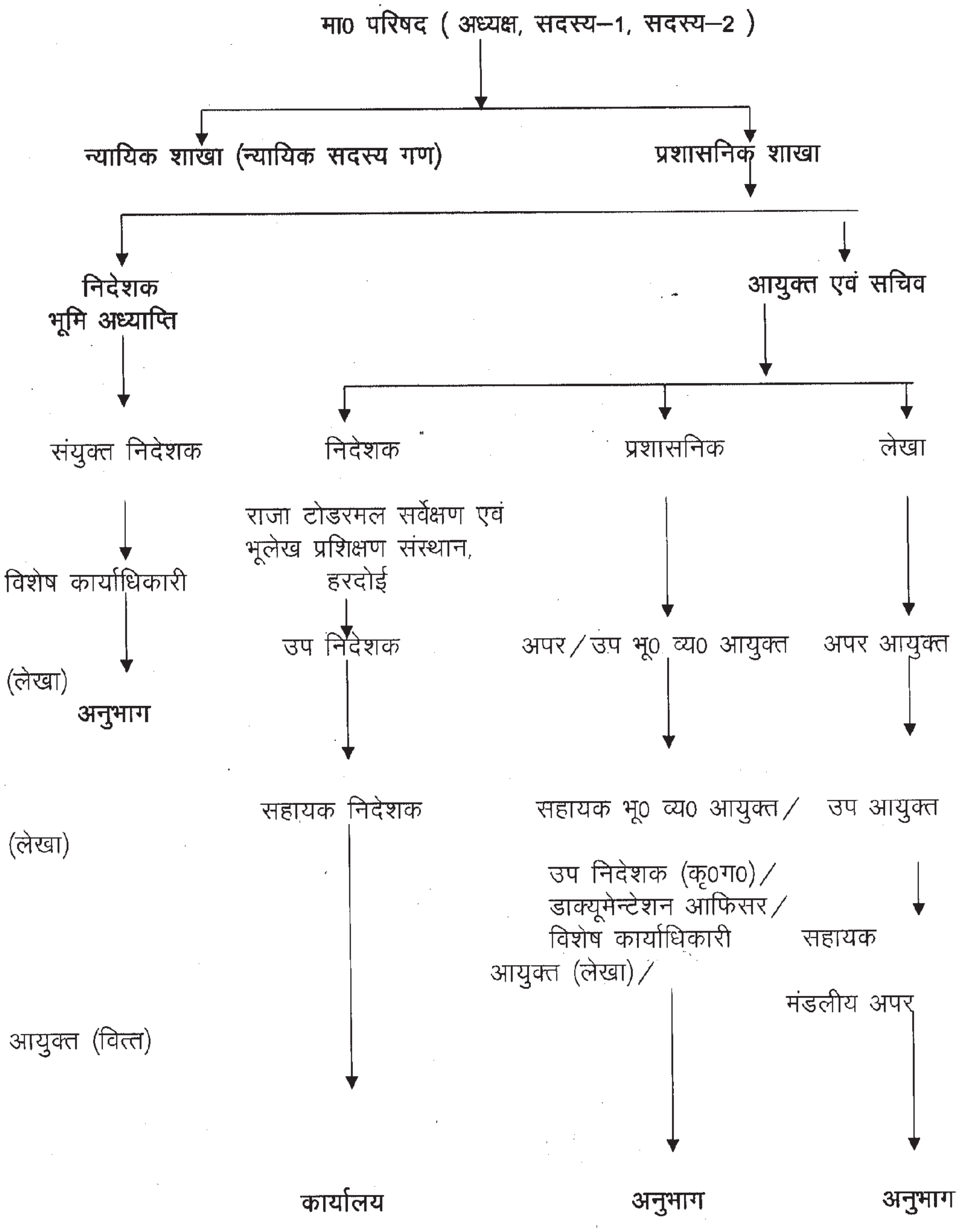

## राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश की कार्य–विवरणिका :–

मा0 परिषद द्वारा लिये गये निर्णयों/आदेशों का कियान्वयन हेतु राजस्व परिषद में भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी **आयुक्त एवं सचिव** की तैनाती की जाती है। परिषद द्वारा लिये गये प्रशासनिक निर्णय सम्बन्धी आदेश आयुक्त एवं सचिव द्वारा निर्गत किये जाते हैं। राजस्व परिषद के कार्यों में आयुक्त एवं सचिव की सहायता के लिये सम्प्रति अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त, उप भूमि व्यवस्था आयुक्त, सहायक भूमि व्यवस्था आयुक्त एवं ओ0एस0डी0 के पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा/उ0प्र0 सिविल सेवा के अधिकारी तैनात हैं। इनके अतिरिक्त डाक्यूमेन्टेशन आफिसर, सहायक सचिव, निबन्धक, संख्याधिकारी, उप निदेशक (कृ0ग0), अधिशासी अभियन्ता, पी0आर0ओ0, आदि पदों पर अन्य संवर्गीय अधिकारी भी कार्यरत हैं जो परिषद द्वारा प्रदत्त अपने–अपने दायित्यों का निर्वहन करते हैं।

राजस्व परिषद उत्तर पदेश का लखनऊ स्थित प्रशासनिक कार्यालय **19** अनुभागों और **14** प्रकोष्ठों में विभाजित है। जबकि इलाहाबाद कार्यालय में **2** अनुभाग हैं। इनमें व्यवहरित होने वाले कार्यों का **अनुभाग वार संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :–**

**अनुभाग–1 (परिषद अधिष्ठान) :–** इस अनुभाग द्वारा राजस्व परिषद के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को छोड़ शेष सभी कर्मचारियों/अधिकारियों के अधिष्ठान सम्बन्धी मामलों का व्यवहरण किया जाता है। **अनुश्रवण और सेवा नियमावली नामक दो प्रकोष्ठ** भी इस अनुभाग के अन्तर्गत कार्यरत हैं। **अनुश्रवण प्रकोष्ठ** परिषद के अनुभागों के बीच समन्वय सहित शासन के लोक शिकायत विभाग/मा0 मुख्यमंत्री जी से प्राप्त संदर्भों व विधान सभा/विधान परिषद/लोक सभा/राज्य सभा के प्रश्नों एवं आश्वासनों के निस्तारण संबंधी अनुश्रवण का कार्य करता है। इसके अलावा महामहिम राज्य पाल/मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0 मंत्री जी के अभिभाषण तैयार करने के साथ–2 परिषद में आयोजित अपर जिलाधिकारियों/अपर आयुक्तों आदि की बैठकों के समन्वय का कार्य इसी प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है। **सेवा नियमावली प्रकोष्ठ** परिषद के विभिन्न अनुभागों की सेवा नियमावलियों के विधीक्षण व उनके प्रख्यापन हेतु वांछित समन्वय व तत्सम्बन्धी अनुश्रवण का कार्य करता है।

**अनुभाग– 1अ (लाइब्रेरी एण्ड रिकाड्स सेक्शन) :** इस अनुभाग का नव सृजन वर्ष **1999** में विशेष रूप से परिषद व उसके आधीन मण्डलों/जिलों/तहसीलों/कानूनगो प्रशिक्षण संस्थान व लेखपाल ट्रेनिंग विद्यालयों के पुस्तकालयों एवं अभिलेखागारों के सुदृढ़ीकरण/उच्चीकरण व उनमें उपलब्ध पुस्तकों व भू–राजस्व अभिलेखों के रख–रखाव सहित परिषद की प्रलेखीकरण इकाई के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्यों के निष्पादन निमित्त किया गया हैं। उल्लेखनीय है कि परिषद के **मैपरूम** में लगभग 3 लाख भू–मानचित्र संरक्षित हैं। **जुडीशियल रिकार्ड रूम** में

लगभग 90 हजार निर्णीत न्यायिक वादों की पत्रावलियां संचित हैं। लगभग 70 हजार पुस्तकें राजस्व परिषद के **पुस्तकालयों** में विद्यमान हैं, जिनका उपयोग परिषद के अधिकारियों / कर्मचारियों, विद्वान अधिवक्ताओं व शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है। लखनऊ परिषद पुस्तकालय पूर्ण सुसज्जित, सुव्यवस्थित और कम्प्यूटरीकृत है। महत्वपूर्ण पुस्तकालय–सेवाओं सहित माइक्रोफिल्म रीडर / प्रिंटर व इण्टरनेट की सुविधा भी उपलब्ध है।

**अनुभाग–2 (संग्रह) :–** इस अनुभाग द्वारा विभिन्न राजकीय देय तथा अर्धशासकीय देयों का संग्रह व उससे संबंधित प्रशासनिक मामलों का निस्तारण, तकाबी एक्ट 12 तथा 19 से संबंधित कार्य, प्राकृतिक आपदाओं में सहायता, एल0एल0एच0टी0 / बी0जे0के0 / वी0वी0के0 से संबंधित कार्य, जिला, वित्त एवं राजस्व अधिकारी के कार्यों का पर्यवेक्षण, संग्रह स्टाफ की निर्देश याचिकाओं तथा रिट याचिकाओं से सम्बन्धित कार्य, संग्रह कर्मियों द्वारा किये गये गबन व उनके विरूद्व प्राप्त अन्य शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही कराना, संग्रह चपरासी, संग्रह अमीन तथा संग्रह तहसीलदार के सेवा सम्बन्धी नीतिगत मामले, संग्रह अमीनों की नायब तहसीलदार पद पर प्रोन्नति हेतु प्रदेश स्तरीय सूची तैयार कराने, जमाबन्दियॉ तैयार करने हेतु जेड0ए0 फार्म्स् की प्रतिपूर्ति संबंधी कार्य का पर्यवेक्षण एवं मण्डलायुक्तों के यफ0डी0ओ0 के उद्वरण पर कार्यवाही आदि के साथ–2 संग्रह कार्यों की समग्र समीक्षा की जाती है। इस अनुभाग के अन्तर्गत **आर्थिक संसाधन प्रकोष्ठ** भी कार्यरत है जो प्रदेश के राजस्व प्राप्तियों व विभाग की भू–राजस्व अभिनवीकरण योजना एंव आर्थिक संसाधनों में वृद्धि संबंधी कार्यों के साथ–2 कलेक्शन मैनुअल जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम तथा उ0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वसूली प्रकिया में आवश्यक संशोधन संबंधी कार्यों का व्यवहरण करता है।

**अनुभाग–3 (त0ना0त0) :–** इस अनुभाग द्वारा तहसीलदार / नायब तहसीलदार के अधिष्ठान संबंधी समस्त कार्य यथा भर्ती, पदोन्नति, स्थायीकरण, अनुशासनिक कार्यवाही व पेंशन इत्यादि प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है।

उक्त से पृथक एक **गोपन प्रकोष्ठ** भी विद्यमान है जिसका दायित्व परगनाधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों, जिलाधिकारी, अपर आयुक्त तथा मण्डलायुक्त की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का अंकन व तत्सम्बन्धी चरित्र पंजिकाओं का रख–रखाव कराना है।

**अनुभाग–4 (भू–लेख) :–** यह अनुभाग मुख्यतः सहायक भूलेख अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, रजिस्ट्रार कानूनगो, सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, लेखपाल व चेनमैन के अधिष्ठान तथा भू–चित्रों और भू–अभिलेखों से सम्बन्धित समस्त कार्यों के प्रति उत्तरदायी है। इसके अलावा किसान बही भूलेख प्रपत्र, सर्वे यंत्रों, लेखपाल बस्तों की छपाई एवं आपूर्ति सहित राजस्व अधिकारियों के रात्रि विश्राम व शीतकालीन / मानसून दौरा व उनके अनुश्रवण एवं किसान दुर्घटना बीमा योजना विषयक कार्य करता है। इस अनुभाग के अन्तर्गत एक अति महत्वपूर्ण **भू–लेख एवं प्रशिक्षण प्रकोष्ठ** भी कार्यरत है जो भू–लेख नियमावली में समय–समय पर आवश्यक संशोधन कराने एवं

कनूनगो प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई सहित प्रदेश के सभी लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों से सम्बन्धित कार्यों को निष्पादित करता है

**अनुभाग–5 (भूमि आवंटन) :–** इस अनुभाग द्वारा जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था विषयक कार्यों का सम्पादन किया जाता है। गांव सभा की भूमि व चक–मार्गों से अनाधिकृत कब्जा हटाने व गांव सभा की भूमि को आवास, कृषि व वृक्षारोपण हेतु आंवटित कराने, तालाब पोखरों व जलाशयों को मत्स्य पालन एवं कुम्हारी कला हेतु पट्टे देने के साथ–साथ आदर्श राजस्व ग्रामों से सम्बन्धित समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाता है। इस अनुभाग से **भूमि सुधार संशोधन प्रकोष्ठ और बेतिया राज्य प्रकोष्ठ** दोनों संबद्ध है। **भूमि सुधार संशोधन प्रकोष्ठ** मुख्यरूप से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम/नियमावली, कुमायूँ विनाश व भूमि व्यवस्था अधिनियम/नियमावली तथा नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम/नियमावली में समय–समय पर आवश्यक संशोधन कराने व इनमें उल्लिखित प्राविधानों के स्पष्टीकरण हेतु उत्तरदायी है जबकि **बेतिया राज्य प्रकोष्ठ** का दायित्व उत्तर प्रदेश में स्थित बेतिया राज्य की सम्पत्ति का निहितन, प्रबन्धन और तत्सम्बन्धी न्यायालीय वादों की पैरवी करना है।

**अनुभाग–6 (नजारत) :–** इस अनुभाग द्वारा मुख्य रूप से राजस्व परिषद के कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन आदि का आहरण/वितरण व उनके जी0पी0एफ0 का रख–रखाव तथा वाहन चालकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अधिष्ठान सम्बन्धी समस्त मामलों के व्यवहरण के साथ–साथ परिषद के नजारत सम्बन्धी सारे कार्य सम्पन्न किये जाते हैं।

उक्त से पृथक **केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना भूलेख कम्प्यूटरीकरण प्रकोष्ठ** भी परिषद में स्थापित है जो प्रदेश के राजस्व प्रशासन सुदृढ़ीकरण हेतु केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना अन्तर्गत भू–अभिलेखों के कम्प्यूटराईजेशन व उससे सम्बन्धित कठिनाईयों के निवारण के साथ–साथ अभिलेख कम्प्यूटरीकरण के आलोक में सुसंगत अधिनियमों/नियमों में वांछित संशोधन सम्बन्धी कार्यों के प्रति उत्तरदायी है।

**अनुभाग–7 (कृषि सांख्यकीय) :–** इस अनुभाग द्वारा प्रदेश के कृषि व भू–लेख तथा वर्षा सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन, पशु गणना, भू–लेख प्रपत्रों का मुद्रण व उनकी आपूर्ति वर्षामापी केन्द्रों की स्थापना व उनके लिये आवश्यक यन्त्रों की सम्पूर्ति राजस्व प्रशासन प्रतिवेदन तथा ऋतु एवं उपज रिपोर्ट नामक दोनों वार्षिक प्रतिवेदनों के लेखन व उनके नियमित प्रकाशन का कार्य सम्पन्न किया जाता है। इसके अलावा इसी अनुभाग में **भू–उपयोग प्रकोष्ठ** भी विद्यमान है जो विशेषरूप से प्रदेश के कृषि आंकड़ों व फार्मिंग पैर्टन, पर्वतीय, ऊसर व उर्वरक भूमि के उपयोग जैसे बिन्दुओं पर अध्ययन करता है।

**अनुभाग–8 (निष्कांत सम्पत्ति) :–** सम्प्रति निष्कान्ति सम्पत्ति से सम्बन्धित इस अनुभाग का विघटन प्रस्तावित है।

**अनुभाग–9 (सर्वे एवं अभिलेखन) :–** इस अनुभाग में सीमा विवाद, नये मण्डलों, जिलों, तहसीलों के सृजन एवं पुनर्गठन, राजस्व ग्राम बनाने, नाम बदलने, विलयन एवं विभाजन के प्रस्ताव, सर्वे तथा बन्दोबस्त, अभिलेखन कियायों सहित वन बन्दोबस्त के कार्यों का निष्पादन किया जाता है।

**अनुभाग–10 (भू0अ0) :–** यह अनुभाग मुख्यतः **भूमि अध्याप्ति निदेशालय, उत्तर प्रदेश** के कार्यों का व्यवहरण करता है। सूचना अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–4 (1–ख) के अन्तर्ग्रस्त बिन्दुओं को भूमि अध्याप्ति निदेशालय उ0प्र0 द्वारा स्वतः अलग से प्रकाशित किया गया है।

**अनुभाग–11 (राजकीय आस्थान) :–** यह अनुभाग उपनिवेशन क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि सैनिक व भूमिहीनों को आवंटित करने, राजकीय आस्थान के नियंत्रण व प्रबन्धन के साथ–साथ खाम भूमि के अनाधिकृत कब्जों के नियमितीकरण तथा आवासीय प्रयोजन हेतु ऐसी भूमि के पट्टों का अनुमोदन इत्यादि कार्य सम्पादित करता है।

**अनुभाग–12 (मण्डल/कलेक्ट्रेट अधिष्ठान) :–** परिषद के इस अनुभाग द्वारा अग्रांकित कार्यों का व्यवहरण किया जाता है। यथा मण्डल एवं जिला कार्यालयों के ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति स्थानान्तरण व अन्य स्थापना सम्बन्धी कार्य। मण्डल एवं जिला कार्यालयों के नियमित अधिष्ठान में कार्यरत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानान्तरण, वेतन निर्धारण सेवा सम्बन्धी प्रतिवेदन आदि का निस्तारण। जिला व मण्डल कार्यालयों के लिये नये पदों का सृजन व उनकी निरन्तरता व स्थायीकरण। कोषागार कार्यालय के कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मण्डलायुक्त के आदेश के विरूद्व प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण। तहसील, जिला व मण्डलीय कार्यालयों में गबन चोरी, आग लगने इत्यादि से हुई हानि सम्बन्धी मामलों का व्यवहरण। मण्डलायुक्तों के आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति। मा0 अध्यक्ष, सदस्यगण व आयुक्त एवं सचिव व अन्य वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण टिप्पणियों का अनुपालन सुनिश्चित कराना। ई0ई0 एक्ट तथा उ0प्र0 साहूकारी विनियमन अधिनियम–1976 से सम्बन्धित मामलों का निस्तारण। मण्डल, जिला व तहसीलों के लिये वाहनों का आवंटन व निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन, टेलीफोन व अन्य उपकरणों की व्यवस्था। परिषद द्वारा आहूत मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों की बैठक व उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के दौरा एवं रात्रि विश्राम। जिला व मण्डल कार्यालयों से सम्बन्धित विधान सभा एवं विधान परिषद के प्रश्नों के उत्तरालेख एवं मण्डलायुक्तों से प्राप्त एफ0डी0ओ0 का अनुश्रवण एवं उस पर कार्यवाही। आयुक्त, अपर आयुक्त, जिलाधिकारी एवं अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के न्यायिक कार्यों के निस्तारण की समीक्षा करता है।इसके आलावा इस अनुभाग से **अनुश्रवण प्रकोष्ठ** भी सम्बन्द्व है।

**अनुभाग 12 (भवन) :–** इस अनुभाग के अन्तर्गत प्रदेश के राजस्व भवनों के निर्माण, लघु निर्माण, अनुरक्षण, मरम्मत तथा किराया उपशुल्क मद में शासन से प्राप्त धनराशिययों का मण्डल व जिलों को आवंटित करने, निर्माण कार्यों

का अनुश्रवण तथा प्रगति की समीक्षा एवं वित्त आयोग संबंधी कार्यों का संपादन किया जाता है।

**अनुभाग 13 (न्याय) :– इस अनुभाग के अन्तर्गत** उ0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, कृषि आयकर अधिनियम, एल0एल0एच0टी0 अधिनियम तथा वृहत जोत कर अधिनियम के अन्तर्ग्रस्त वादों से संबंधित न्यायिक कार्यों का निष्पादन किया जाता है।

**अनुभाग 14 (लेखा/बजट) :–** इस अनुभाग के अन्तर्गत राजस्व परिषद लेखा संगठन के अधिष्ठान सम्बन्धी समस्त कार्य सम्पादित किये जाते हैं। परिषद स्तर पर वित्तीय मामलों में परामर्श दिया जाता है। मण्डलीय अपर आयुक्त (वित्त) कार्यालयों से प्राप्त निरीक्षण पत्रों का परीक्षण एवं मानीटरिंग, गबन के प्रकरण, अवशेष आपत्तियों के निस्तारण हेतु मण्डलीय बैठकों का आयोजन, विशेष लेखा विषयक प्रकरणों की जांच, परिषद के अधिकारियों के निरीक्षण टिप्पणी में आये लेखा सम्बन्धी कार्यों का व्यवहरण होता है। इसके आलावा लेखा शीर्षकों यथा 2029, भू–राजस्व, 2052–सचिवालय सामान्य सेवायें–राजस्व परिषद, 2053–जिला प्रशासन (क) आयुक्त अधिष्ठान 3053–नागर विमानन सम्बन्धी आय–व्ययक अनुमान का प्रेषण, बजट, आवंटन, मासिक व्यय विवरण प्राप्त करने के साथ साथ प्रारम्भिक एवं अन्तिम विवरण शासन को प्रेषित करना तथा शासन द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त धनराशि का आवंटन एवं महालेखाकार से विभागीय आंकड़ों के मिलान का कार्य किया जाता है। इस अनुभाग के अन्तर्गत **पेंशन प्रकोष्ठ, आडिट प्रकोष्ठ, प्री–आडिट प्रकोष्ठ** सहित **विशेष जांच दल** कार्यरत हैं।

**अनुभाग 15 (सीलिंग) :–** इस अनुभाग में पुरानी तथा नयी सीलिंग अधिनियमों एवं नियमावली से संबधित कार्य। कृषि विभाग एवं वन विभाग को भूमि का स्थानान्तरण। सीलिंग प्रतिकर के बजट व भुगतान एवं स्टाफ, फार्म, फर्नीचर, टेलीफोन से संबंधित कार्य। सीलिंग से सम्बन्धित निरीक्षण टिप्पणियों, शिकायतों, रिट याचिकाओं, भूमि का आवंटन करने एवं आवंटियों को कब्जा तथा आर्थिक सहायता प्रदान करने कार्यों का व्यवहरण होता है।

**अनुभाग 16 (कृ0ग0) :–** इस अनुभाग द्वारा प्रदेश के कृषि गणना योजना संबंधी कार्यों का निष्पादन किया जाता है। जिसमें राजस्व गांवों के भू–अभिलेखों (खतौनी तथा खसरा) का सारिणिकरण करके विभिन्न जोत आकार के अनुसार कियात्मक जोतों की संख्या, क्षेत्रफल, भू–स्वामित्व, भूमि उपयोगिता, सिचाई की श्रेणी, सिंचित जोतें विभिन्न फसलों को उगाने वाली जोतों इत्यादि की सूचना एकत्र एवं संकलित कर भारत सरकार को उपलब्ध करायी जाती है।

**अनुभाग 17 (विधि) :–** इस अनुभाग का कार्य मुख्यतः मा0 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्य लोक सेवा अधिकरण तथा अन्य न्यायालयों से प्राप्त याचिकाओं को पंजीकृत करना, विधिक परीक्षण उपरान्त शासन से याचिका का विरोध करने हेतु अनुमति प्राप्त करना, प्रति शपथ पत्र, लिखित उत्तर व आपत्ति तैयार कर मा0

न्यायालयों में दाखिल कराने आदि प्रकरणों का अनुश्रवण/कियान्वयन के साथ साथ परिषद को विधिक परामर्श देने का कार्य सम्पन्न किया जाता है।

**न्याय अनुभाग :–** राजस्व परिषद, इलाहाबाद के इस अनुभाग द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, उ0प्र0 टेनेन्सी अधिनियम, कुमायूं जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, उ0प्र0 नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम। संबंधित न्यायिक वादों का निस्तारण किया जाता है तथा राजस्व परिषद, इलाहाबाद में तैनात तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्यों का व्हरण भी इस अनुभाग द्वारा किया जाता है।

**स्टाम्प अनुभाग :–** राजस्व परिषद इलाहाबाद के इस अनुभाग में मुख्यरूप से स्टाम्प एक्ट के अन्तर्गत ऐडजुडीकेशन संबंधी कार्य, अनुचित स्टाम्प दस्तावेज, स्टाम्प के लिए भत्ता, स्टाम्प एवं कोर्ट फी एक्ट संदर्भ तथा पुनरीक्षण, दण्डनीय अपराध तथा अभियोजन, नियमों तथा अधिनियमों के संशोधन, दस्तावेजों की स्टेम्पिंग तथा इम्बोसिंग इत्यादि कार्यों का व्यवहरण किया जाता है।

## राजस्व परिषद द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले अधिनियम, नियमावली, मैनुअल, निर्देशिकाओं इत्यादि की सूची :–

राजस्व परिषद के उपरोक्त कार्यों का व्यवहरण सम्बन्धित आधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा **आफिस मैनुअल आफ वोर्ड आफ रेवेन्यू अनुसार किया जाता है।** अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु कर्मचारी द्वारा **अग्रलिखित अधिनियम, नियमावली, मैनुअल व निर्देशिकाओं आदि** का उपयोग करते हैं। **यथा :** उ0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम–1901, उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम–1950, कुमायूँ एवं उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम–1960, उ0प्र0 नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम–1956, गवर्नमेण्ट ग्रांट्स एक्ट–1895, गवर्नमेण्ट ग्रांट्स "यू0पी0 एमेण्डमेन्ट" एक्ट–1960, उ0प्र0 सार्वजनिक भू–ग्रहादि (अपराधिकत अधियाचियों की बेदखली अधिनियम) यू0पी0 एक्ट–1972, उ0प्र0 अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम–1960, सीमा परिवर्तन अधिनियम–1979, भारतीय वन अधिनियम–1927, वन संरक्षण अधिनियम–1980, भूमि अध्याप्ति अधिनियम–1894, भूमि अध्याप्ति संशोधित अधिनियम–1984, रेवेन्यू रिकवरी एक्ट–1890, रेवेन्यू रिकवरी (यू0पी0 अमेण्डमेन्ट) एक्ट–1963, एडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैक्यू प्रापर्टी एक्ट–1950, इवैक्यू इन्टररेस्ट (सेपरेशन) एक्ट–1951, डिस्प्लेस्ड परशन्स कम्पन्सेशन एण्ड रिहविलिटेशन एक्ट–1954, भारतीय स्टाम्प एक्ट–1899, उ0प्र0 पंचायत राज्य अधिनियम, इण्डियन जनरल क्लाजेज एक्ट, न्यू उ0प्र0 पंचायत राज्य एक्ट, ट्रांसफर आफ प्रापर्टी एक्ट, उ0प्र0 चकबन्दी अधिनियम, उ0प्र0 इम्पोजीशन आफ सीलिंग आन लैण्ड होल्डिगं एक्ट, उ0प्र0 टैनेन्सी एक्ट, इण्डियन सक्सेशन एक्ट, हिन्दू एडिक्शन एक्ट। उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली–1952, उ0प्र0, भू–राजस्व (सर्वेक्षण एवं अभिलेखन किया) नियमावली–1978, सरकारी सम्पत्ति प्रबन्ध नियमावली–1987,

सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित ''संशोधित'' नियमावली–2003, उ0प्र0 रेवेन्यू रिकवरी एक्ट–1966, उ0प्र0 तकावी रूल्स–1942। उ0प्र0 लैण्ड रिकाड्स मैनुअल आफ आर्डर्स आफ

दि रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट (रेवेन्यू मैनुअल), उ0प्र0 रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल, उ0प्र0 गांवसभा मैनुअल,भूमि अध्याप्ति मैनुअल, उ0प्र0 संग्रह मैनुअल, उ0प्र0 नजूल मैनुअल, उ0प्र0 साहूकारी विनियमन अधिनियम–1976 तथा राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जारी महत्वपूर्ण परिपत्र (का संकलन), परिषदादेशों का संकलन आदि आदि।

| राजस्व परिषद: बजट प्राविधान 2010–11 (धनराशि हजार रूपये में) | | |
|---|---|---|
| अनुदान संख्या–50 | | |
| राजस्व लेखा– | आयोजनागत | आयोजनेत्तर |
| 2053–जिला प्रशासन–093–जिला स्थापना 03–कलेक्टरी स्थापना (वेतन भत्ते) | मतदेय<br>भारित | 3718740<br>1554 |
| 2053–जिला प्रशासन–101–आयुक्त–03–मुख्य कार्यालय (वेतन भत्ते) | मतदेय<br>भारित | 208382<br>200 |
| अनुदान सं0–2052–सचिवालय सामान्य सेवायें–800–अन्य व्यय–03–अवशेषों का भुगतान–01–वेतन | | 595219 |
| 2059–लो0नि0कार्य–80–सामान्य–053–रखरखाव–03–मण्डल/जनपद/तहसील के अनावासीय भवनों के अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य | | 178800 |
| 2216–आवास–01–सरकारी रिहायशी भवन–700–अन्य आवास–03–मंडल जनपद तहसील के आवासीय भवनों के अनुरक्षण | | 50000 |
| 3053–नागर विमानन–02–विमान पत्तन–102–हवाई अड्डा–03–हवाई पट्टियों के रखरखाव व प्रबन्ध | | 13781 |
| योग–राजस्व लेखा मतदेय | | **4764922** |
| भारित | | **1754** |
| पूँजी लेखा– | | |
| 4059–लो0नि0कार्य (पूँजी)–01–कार्यालय भवन–051–निर्माण–08–कांशीराम नगर के कार्यालय भवन का निर्माण–24–वृहत्त निर्माण कार्य | 20000 | |
| 4059–लो0नि0कार्य (पूँजी)–01–कार्यालय भवन–051–निर्माण–09–मण्डलायुक्त कार्यालय भवन–0901–मण्डलायुक्त सहारनपुर–24–बृहत्त निर्माण कार्य | 20000 | |
| 4059–लो0नि0कार्य (पूँजी)–01–कार्यालय भवन–051–निर्माण–09–मण्डलायुक्त कार्यालय भवन–0902–मण्डलायुक्त चित्रकूटधाम–24–बृहत्त निर्माण कार्य | 20000 | |
| 4059–लो0नि0कार्य (पूँजी)–01–कार्यालय भवन–051–निर्माण–10–सोनभद्र कलेक्ट्रेट के कार्यालय भवन का निर्माण–24–बृहत्त निर्माण कार्य | 20000 | |
| 4059–लो0नि0कार्य (पूँजी)–01–कार्यालय भवन–800–अन्य व्यय–21 प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवना के चालू कार्यो एवं भूमि कय हेतु–24–वृहत्त निर्माण कार्य | 500000 | |
| 4059–लो0नि0कार्य (पूँजी)–01–कार्यालय भवन–800–अन्य व्यय–22–मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों में लघु निर्माण सम्बन्धी कार्य–25–लघु निर्माण कार्य | | 15000 |
| 4059–लो0नि0कार्य (पूँजी)–01–कार्यालय भवन–60–अन्य व्यय–051–निर्माण–31–भारत नेपाल सीमा स्तम्भों की मरम्मत हेतु प्राविधान (भारत सरकार) 25–लघु निर्माण कार्य | | 1 |
| 4216–आवास पर पूँजीगत परिव्यय–01–सरकारी रिहायशी भवन–106–साधारण पूल आवास–03–आवासीय भवन–0301–कलेक्ट्रेट महामायानगर– | | |

| | | |
|---|---|---|
| 24–वृहत निर्माण कार्य | 10000 | |
| 4216–आवास पर पूँजीगत परिव्यय–01–सरकारी रिहायशी भवन–106–साधारण पूल आवास–03–आवासीय भवन–0302–कलेक्ट्रेट महोबा–24–वृहत निर्माण कार्य | 10000 | |
| 4216–आवास पर पूँजीगत परिव्यय–01–सरकारी रिहायशी भवन–106–साधारण पूल आवास–03–आवासीय भवन–0303–कलेक्ट्रेट कांशीराम नगर–24–वृहत निर्माण कार्य | 10000 | |
| 4216–आवास पर पूँजीगत परिव्यय–01–सरकारी रिहायशी भवन–106–साधारण पूल आवास–03–आवासीय भवन–0304–कलेक्ट्रेट सोनभद्र–24–वृहत निर्माण कार्य | 10000 | |
| 4216–आवास पर पूँजीगत परिव्यय–01–सरकारी रिहायशी भवन–106–साधारण पूल आवास–03–आवासीय भवन–06–मण्डल,जनपद,तहसीलों के आवासीय भवनों में लघु निर्माण कार्य–24–लघु निर्माण कार्य | | 5000 |
| 4216–आवास पर पूँजीगत परिव्यय–01–सरकारी रिहायशी भवन–106–साधारण पूल आवास–03–आवासीय भवन–07–प्रदेश के मण्डल,जनपद,तहसीलों के आवासीय भवनों के चालू कार्यो एवं भूमि कय हेतु–24–वृहत निर्माण कार्य | 150000 | |
| **योगः पूँजी लेखा** | **770000** | **20001** |
| <u>अनुदान संख्या–52</u> | | |
| राजस्व लेखा– | | |
| 2029–भू–राजस्व–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–भूमि अध्याप्ति सामान्य राजस्व व्यय | मतदेय<br>भारित | 233494<br>500 |
| 2029–भू–राजस्व–101–संग्रहण प्रभार–03–भू राजस्व मालगुजारी, तकाबी, नहर और अन्य प्रकीर्ण सरकारी देय धनराशियों का संग्रहण प्रभार | मतदेय<br>भारित | 4250757<br>1050 |
| 2029–भू–राजस्व–103–भू अभिलेख–03–अधीक्षण | | 15977 |
| 2029–भू–राजस्व–103–भू अभिलेख–04–जिला व्यय | मतदेय<br>भारित | 6714182<br>100 |
| 2029–भू–राजस्व–103–भू अभिलेख–05–कृषि गणना–0501–मुख्यालय | | 6750 |
| 2029–भू राजस्व–800–अन्य व्यय–04–भूमि व्यवस्था लैण्ड रिफार्मस आयुक्त–04–04–उ0प्र0 सर्वेक्षण एवं भू अभिलेख प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई के विकास एवं विस्तार की योजना | | 8796 |
| 2029–भू राजस्व–800–अन्य व्यय–05–अवशेषों का भुगतान–01–वेतन | | 1483500 |
| 2049–ब्याज अदायगियाँ–01–आन्तरिक ऋण पर ब्याज–101–बाजार कर्जो पर ब्याज–03–प्रतिकर बन्धों तथा स्टाक प्रमाण पत्रों पर ब्याज–32–ब्याज/लाभांश– | भारित | 1 |
| 2049–ब्याज अदायगियाँ–01–आन्तरिक ऋण पर ब्याज–101–बाजार कर्जो पर ब्याज–04–नगर क्षेत्र | | |

| | | |
|---|---|---|
| प्रतिकर बन्धों पर ब्याज–32–ब्याज / लाभांश | भारित | 1 |
| 2049–ब्याज अदायगियाँ–01–आन्तरिक ऋण पर ब्याज–101–बाजार कर्जो पर ब्याज–05–अधिकतम जोतसीमा निर्धारण प्रतिकर–32–ब्याज / लाभांश | भारित | 1 |
| 2049–ब्याज अदायगियाँ–01–आन्तरिक ऋण पर ब्याज–101–बाजार कर्जो पर ब्याज–06–उ0 प्र0 ऋण ग्रस्त सम्पत्ति अधिनियम बन्धों पर ब्याज–ब्याज / लाभांश– | भारित | 1 |
| 2049–ब्याज अदायगियाँ–01–आन्तरिक ऋण पर ब्याज–101–बाजार कर्जो पर ब्याज–07–प्रकीर्ण व्यय–25–ब्याज / लाभांश | भारित | 5000 |
| 2049–ब्याज अदायगियाँ (कमशः)–01–आन्तरिक ऋणों पर ब्याज (कमशः) 305–ऋण प्रबन्ध–03–प्रतिकर बन्धों और पुर्नवासन अनुदान बन्धों आदि का निर्गमन तथा प्रबन्ध–32–ब्याज / लाभांश | भारित | 1 |
| 2052–सचिवालय सामान्य सेवायें–099–राजस्व बोर्ड–03–राजस्व परिषद | | 158453 |
| 2052–सचिवालय सामान्य सेवायें–800–अन्य व्यय –03–अवशेषों का भुगतान–01–वेतन | | 15000 |
| 2059–लो0नि0कार्य–80–सामान्य–053–रखरखाव तथा मरम्मत–03–राजस्व परिषद के अनावासीय भवनों का अनुरक्षण–29–अनुरक्षण | | 8000 |
| 2059–लो0नि0कार्य–80–सामान्य–053–रखरखाव तथा मरम्मत–04–भू अभिलेख के जिला कार्यालयों के अनावासीय भवनों का अनुरक्षण–29–अनुरक्षण | | 4000 |
| 2059–लो0नि0कार्य–80–सामान्य–053–रखरखाव तथा मरम्मत–05–भू अभिलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई के अनावासीय भवनों का अनुरक्षण–29–अनुरक्षण | | 500 |
| 2075–विविध सामान्य सेवायें–101–पुर्नग्रहीत जागीर भूमि के एवज में पेन्शन–03–एवज में पेन्शन–42 अन्य व्यय | | 45 |
| 2075–विविध सामान्य सेवायें–800–अन्य व्यय–06–वक्फों न्यासों ट्रेस्ट और धर्मास्थों को देय वार्षिक वृद्धियाँ (एन्यूटीज)–42–अन्य व्यय | | 1200 |
| 2075–विविध सामान्य सेवायें–800–अन्य व्यय–07–उ0प्र0 अधिकतम भूमि सीमारोपण अधिनियम के अधीन प्रतिकर–42–अन्य व्यय | | 500 |
| 2075–विविध सामान्य सेवायें–800–अन्य व्यय–08–ईमानदारों और अन्य अनुदान अनुग्रहीताओं को भुगतान–42–अन्य व्यय | | 20 |
| 2075–विविध सामान्य सेवायें–800–अन्य व्यय–10–अन्य प्रकीर्ण प्रतिकर–42 अन्य व्यय | | 1 |
| 2075–विविध सामान्य सेवायें–800–अन्य व्यय–11–न्यायालय के आज्ञप्ति के समाधान के सम्बन्ध में भुगतान–42–अन्य व्यय | भारित | 1 |
| 2216–आवास–01–सरकारी रिहायशी भवन–700–अन्य आवास–03–राजस्व परिषद के आवासीय भवनों के अनुरक्षण–29–अनुरक्षण | | 4800 |
| 2216–आवास–01–सरकारी रिहायशी भवन–700– | | |

| | | |
|---|---|---|
| अन्य आवास–04–राजस्व परिषद के आवासीय भवनों में लघु निर्माण कार्य–25–लघु निर्माण कार्य | | 8195 |
| 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–110–अन्य बीमा योजनाऍं–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुनोनिधारित योजनाऍं–0101–आम आदमी बीमा योजना–42–अन्य व्यय | | 400000 |
| 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–110–अन्य बीमा योजनाऍं–03–प्रदेश के खातेदार/सहखातेदार कृषकों की व्यक्तिगत दुर्घटना योजना के प्रीमियम हेतु भुगतान–42–अन्य व्यय | | 600000 |
| राजस्व लेखा मतदेय | | **13914170** |
| भारित | | **6656** |
| <u>पूँजी लेखा</u> | | |
| 4059–लो0नि0कार्य पर पूँजीगत परिव्यय–01–कार्यालय भवन–800–अन्य व्यय–05–भू अभिलेखों के अभिलेखागारों के लघु निर्माण कार्य–25–लघु निर्माण कार्य | | 1000 |
| 4059–लो0नि0कार्य पर पूँजीगत परिव्यय–01–कार्यालय भवन–800–अन्य व्यय–10–राजस्व परिषद के अनावासीय भवनों में लघु निर्माण कार्य–25–लघु निर्माण कार्य | | 9545 |
| 6003–राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण–106–प्रतिकर तथा अन्य बन्ध पत्र–03–ब्याज वाले बन्ध पत्र–0301–31/4 प्रतिशत उ0प्र0 ऋणग्रस्त सम्पत्ति–अधिनियम के बन्धपत्र–30–निवेश/ऋण | भारित | 1 |
| 6003–राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण–106–प्रतिकर तथा अन्य बन्ध पत्र–03–ब्याज वाले बन्ध पत्र–0302–जमींदारी विनाश प्रतिकर बन्धपत्र–30–निवेश/ऋण | भारित | 1 |
| 6003–राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण–106–प्रतिकर तथा अन्य बन्ध पत्र–03–ब्याज वाले बन्ध पत्र–0303–नागर क्षेत्र प्रतिकर बन्ध पत्र–30–निवेश/ऋण | भारित | 1 |
| 6003–राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण–106–प्रतिकर तथा अन्य बन्ध पत्र–03–ब्याज वाले बन्ध पत्र–0304–अधिकतम जोतसीमा प्रतिकर बन्धपत्र 30–निवेश/ऋण | भारित | 1 |
| 6003–राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण–106–प्रतिकर तथा अन्य बन्ध पत्र–04–ब्याज वाले बन्ध पत्र–0401–पुर्नवासन अनुदान बन्धपत्र–30–निवेश/ऋण | भारित | 1 |
| 6003–राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण–106–प्रतिकर तथा अन्य बन्ध पत्र–05–प्रकीर्ण व्यय–30–निवेश/ऋण | भारित | 1000 |
| योगः पूँजी लेखा मतदेय | | **10545** |
| भारित | | **1005** |

**सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के समुचित कियान्वयन हेतु** राजस्व परिषद, उ0प्र0 द्वारा अपने नियन्त्रणाधीन कार्यालयों / संस्थाओं में अधोलिखित तालिका अनुसार अधिकारियों को नामित किया गया है :–

| क0सं0 | संस्था / कार्यालय | अपीलीय अथारिटी | एस0पी0आई0ओ0 | सहायक एस0पी0आई0ओ0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश। | आयुक्त एवं सचिव | 1. लखनऊ : विषेष कार्याधिकारी अनुभाग –1<br>2. इलाहाबाद : निबन्धक | |
| 2 | सहायक प्रतिकर आयुक्त कार्यालय, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश। | आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश। | सहायक प्रतिकर आयुक्त | |
| 3 | मण्डल | मण्डलायुक्त | अपर आयुक्त | |
| 4 | जिला | जिलाधिकारी | अपर जिलाधिकारी | |
| 5 | तहसील | तदैव | तदैव | जिले की प्रत्येक तहसील के तहसीलदार |
| 6 | सर्वेक्षण इकाई : उन्नाव / फैजाबाद / गोरखपुर / बलिया / सोनभद्र / मिर्जापुर | जिलाधिकारी / अभिलेख अधिकारी | सहायक अभिलेख अधिकारी | |
| 7 | मण्डलीय लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयःगोरखपुर / गोण्डा / इलाहाबाद / गाजीपुर / लखनऊ / शाहजहॉपुर / आगरा / बिजनौर / बरेली / महोबा / बुलन्दशहर | जिलाधिकारी | प्रधानाचार्य | |
| 8 | भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई | निदेशक | उप निदेशक | |

राजस्व परिषद, उ०प्र० के लिये आयुक्त एवं सचिव अपीलीय अधिकारी नामित हैं जबकि विशेष कार्याधिकारी अनुभाग –1, श्री योगेन्द्र यादव, राजस्व परिषद, लखनऊ कार्यालय निमित्त राज्य जनसूचना अधिकारी बनाये गये हैं एवं डाक्यूमेन्टेशन ऑफिसर श्री सी० बी० उपाध्याय को जनसूचना प्रकोष्ठ का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है राजस्व परिषद, इलाहाबाद कार्यालय के लिये वहाँ तैनात निबन्धक को राज्य जनसूचना अधिकारी नामित किया है

| | |
|---|---|
| **श्री योगेन्द्र यादव**<br>विशेष कार्याधिकारी अनुभाग - 1/जनसूचना अधिकारी<br>राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ<br>फोन (कार्यालय):- 0522-2620478 | **श्री राजीव कुमार**<br>आयुक्त एवं सचिव/अपीलीय अधिकारी<br>राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ<br>फोन (कार्यालय):- 0522-2622068<br>फोन (निवास):- 0522-2723895 |
| **श्री बृजलाल**<br>निबन्धक/ जनसूचना अधिकारी<br>राजस्व परिषद, उ०प्र०, इलाहाबाद<br>फोन (कार्यालय):- 0532-2420619 | **श्री सी०बी० उपाध्याय**<br>डाक्यूमेन्टेशन ऑफिसर /प्रभारी अधिकारी - जनसूचना प्रकोष्ठ<br>राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ<br>फोन (कार्यालय):- 0522-2614391 |